कल्याणी सहायता योजना

पात्रता- संस्थान/स्थापना में कार्यरत श्रमिक की मृत्यु उपरांत उसकी पत्नी द्वारा निर्धारित प्रारूप में मृत्यू दिनांक से 1 वर्ष के अन्दर आवेदन करने पर पत्नी को आजीवन प्रतिवर्ष श्रमिक की विधवा द्वारा जीवित होने एवं पुर्नविवाह न किये जाने का प्रमाण पत्र (शपथ पत्र) प्रस्तुत करने पर सहायता राशि प्रदान की जाती है। वर्तमान में यह योजना लोकसेवा गारंटी स्कीम 2010 में दिनांक 17-09-2021 से सेवा क्रमांक 2.35 के रूप में सम्मिलित है। उक्त योजना में लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज (छायाप्रतियां)

- निर्धारित प्रारूप में आवेदन
- मृत्यू प्रमाण पत्र
- कल्याणी का आधार पत्र
- बैंक पास बुक, प्रथम पृष्ठ
- आवेदन का संस्थान/स्थापना से प्रमाणीकरण
- प्रत्येक वर्ष कल्याणी द्वारा जीवित होने तथा पुनर्विवाह न किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी- मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी जो जनसंपर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक , कल्याण निरीक्षक इस योजना में पदाभिहित अधिकारी नियुक्त है।

वर्तमान सहायता राशि :- रूपये 12000/- प्रतिवर्ष (जून एवं दिसंबर में प्रत्येक छ:माही रू 6000/- दी जाती है।)